न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (अनूपशहर), बुलन्दशहर।

उपस्थितः– राजेश कुमार–तृतीय (उच्चतर न्यायिक सेवा)

दाण्डिक निगरानी वाद संख्या–08 / 2026

C.N.R.No.- UPBU0-7000062-2026

1. **निजाम उर्फ निजामुददीन** आयु 56 वर्ष पुत्र स्व0 श्री असगर निवासी ग्राम पिलखना, नरौरा, जिला–बुलन्दशहर।

————————**निगरानीकर्ता**

बनाम

1– उत्तर प्रदेश सरकार

2– तौफीक अहमद आयु करीब 50 वर्ष पुत्र श्री फकीर मौहम्मद, निवासी हमदर्दनगर जमालपुर अलीगढ। कथित पता पलखना, नरौरा, जिला–बुलन्दशहर।

————————————**विपक्षीगण।**

निर्णय

1. प्रस्तुत निगरानी निगरानीकर्ता की ओर से अन्तर्गत धारा–438,440 बी0 एन0 एस0 एस0 दाण्डिक वाद संख्या–851 / 2021 में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनूपशहर द्वारा किये गये आदेश दिनाँक–07.03.2026 से क्षुब्ध होकर योजित की गई है, जिसके द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनूपशहर द्वारा धारा 147 148, 323,334, 325, 504,506 भारतीय दण्ड संहिता थाना नरौरा को धारा–323 जाफ्ता फौजदारी के तहत कमिट किया गया है।

2. निगरानीकर्ता की निगरानी से सम्बन्धित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

दाण्डिक वाद संख्या– 851 सन 2021 सरकार बनाम कादिर उर्फ कालू शाह आदि में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनूपशहर द्वारा दिनँक–07.03.2016 को अभियुक्तगण कादिर उर्फ कालू शाह, बन्टी, निजाम, गुलबहार, एवं अवसर आदि के विरूद्ध धारा 147 148, 323,334, 325, 504,506 भारतीय दण्ड संहिता थाना नरौरा को धारा–323 जाफ्ता फौजदारी के तहत सत्रसपुर्दगी आदेश पारित किया गया है।

4. निगरानीकर्ता की ओर से निम्न आधार पर निगरानी प्रस्तुत की गई है–

आधार निगरानी

माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश खिलाफ कानून व खिलाफ वाक्यात है। प्रश्रगत आदेश पारित करने में माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का न्यायोचित अवलोकन नहीं किया है और बिना किसी न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये मनमाना आदेश पारित कर दिया है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश बिना किसी आदार के है जो कि तर्कसंगत व कानन के अनरूप नहीं है। दाण्डिक वाद संख्या – 851 सन् – 2021 मु0 अ०सं० –81 सन 2021 धारा – 147, 148, 323, 324,

Digitally signed by RAJESH KUMAR
Date: 2026.08.18 16:09:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

325, 504, 506 भा०दंसं० थाना – नरौरा कदापि भी सत्रवाद संख्या –1348 सन् – 2021 सरकार बनाम साबिर एवम् सत्रवाद संख्या – 1796 सन् – 2021 सरकार बनाम शाहरुख आदि तदानसार सत्रवाद संख्या –24 व 25 सन् – 2021 धारा – 452, 324, 323,307, 504 भा०दं०सं० थाना – नरौरा का क्रॉस केस नहीं है और न ही विवेचक द्वारा उक्त वाद को क्रॉस केस के रूप में स्वीकार ही किया गया है। क्रॉस केस में कथित घटनास्थल दिनांक व समय एक ही होने चाहिये परन्तु प्रस्तुत मामले में कदापि भी ऐसा नहीं है। कानूनन कोइ भी दाण्डिक वाद सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के क कारण धारा धारा 209 जाफ्ता फौजदारी के तहत कोमेट किया जाता है परतु धारा –323 जाफ्ता फौजदारी के तहत किसी भी दाण्डेक वाद को जब कोमिट किया जाता है कि जब साक्ष्य के किसी प्रक्रम पर यह प्रतीत होता है कि मामला ऐसा है जिसका विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जायेगा पन्तु प्रस्तत प्रकरण में ऐसा कोई कारण जाँच या विचारण के पश्चात प्रश्नगत आदेश में प्रदर्शित नहीं किया गया है। प्रश्नगत आदेश आधारहीन तथ्यों पर मात्र कल्पनाओं के आधार पर पारित किया गया है जो काबिले कायमी नहीं है। पर्व में भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसी तरह का आदेश उत्त मामले में पारित किया गया था जिसके विरुद्ध क्रिमिनल रिवीजन संख्या 12 सन 2022 योजित किया गया था। जिसे स्वीकार करते हये दिनांक 07.12.2022 को यह निर्णय पारित किया गया था कि पुनः उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हये गुणदोष के आधार पर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित करें । प्रश्नगत आदेश Non speaking and ˙rbitrary है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश हर सूरत में खारिज होने योग्य है। अतः रिवीजनकर्ता द्वारा योजित रिवीजन स्वीकार फरमाया जाकर प्रश्नगत आदेश दिनांकित 07.03.2026 निरस्त करने की याचना की गयी है।

5. विपक्षी सं0 2 **ताफीक अहमद** की ओर से प्रस्तुत **आपत्ति 11बी** में कथन किया है कि निगरानीकर्ता द्वारा उपरोक्त निगरानी गलत एवं भ्रामक तथ्यों पर प्रस्तु की गयी है। मा0 अवर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 07.03.2026 न्याय की दृष्टि एव तथ्यों को देखते हुये आदेश पारित किंया गया वह तर्कसंगत व कानूनन सही है। निगरानीकर्ता द्वारा एक मु०अ०सं० 50 सन् 2021 अंधारा 324, 504, 452, 307. 325 भा0 द0 सं0 में थाना नरौरा पर कायम कराया था जिसमें घटना की तारीख दिनांक 05.03.2021 समय 6 बजे शाम की दर्शायी गयी है जिसमे आरोप पत्र उपरोक्त धाराओं में विवेचक द्वारा प्रस्त्रत किया गया है जो माननीय न्यायालय में सत्रवाद सं० 8 सन 2026 विचाराधीन है। विपक्षी / आपत्तिकर्ता नं० 2 ने एक म०अ०सं० 81 सन 2021 आधार 147 148, 323, 324, 325, 504, 506, 307, 452 आई०पी०सी में थाना नरौरा पर कायम कराया था उसमें भी घटना दिनांक 05.03.2021 की समय करीब 6 बजे शाम की दर्शायी गयी है जिसकी बजह से उपरोक्त दोनों वाद आपस में क्रॉस केस हैं। जिसकी बजह से मा0 अवर न्यायालय द्वारा म0अ०सं० 81 सन् 202 को कमिट करते हुये मा० सत्र न्यायालय को सुपूर्द किया था जो मा० न्यायालय में सत्रवाद सं०

24 सन 2021 के रूप में विचाराधीन है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी की धारा 8 में क्रिमिनल रिविजन स० 12 सन् 2022 में दिनांक 07.12.2022 को यह निर्णय पारित केया क्ा के पुत्रः उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर 'देते हुये गुण दोष के आधार पर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित करें। उक्त आदेश में माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने के कारण दिनांक 17.12.2022 को क्रिमिनल रिविजन सं० 12 सन् 2022 में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था लेकिन इस तथ्य को निगरानीकर्ता द्वारा जानबूझकर माननीय न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से छिपाया गया है। उपरोक्त कारणों के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त निगरानी निरस्त होने योग्य है। अतः उपरोक्त कारणों के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त निगरानी को निरस्त करने की याचना की गयी है

5. निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के समर्थन में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपशहर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनाँक–07.03.2026 की सत्यप्रतिलिपि 6बी/1 ता 6बी/3, आधार कार्ड की छायाप्रति 7बी प्रस्तुत किये गये है।

6. विपक्षी संख्या–1 उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आपराधिक उपस्थित आये और उनकी ओर से मौखिक आपत्ति करते हुये कथन किया गया है कि प्रश्नगत आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश पारित करने में अवर न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। ऐसे में उक्त आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। तद्नुसार निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त किये जाने की याचना की गयी है। अन्य विपक्षी की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के कथनों की पुनरावृत्ति की है।

7. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

8. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण कादिर उर्फ कालू शाह, बन्टी, निजाम, गुलबहार, एवं अवसर आदि के विरूद्ध धारा 147 148, 323,334, 325, 504,506 भारतीय दण्ड संहिता थाना नरौरा को धारा–323 जाफ्ता फौजदारी के तहत सत्रसपुर्दगी आदेश पारित किया गया कि –

> '' माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपशहर बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 27.02.2026 के अनुसार ''वर्तमान प्रकरण की घटना दिनांक 05. 03.2021, समय 6:00 बजे की प्रदर्शित की गई है, जो कि वादी मुकदमा निजाम की ओर से शारूख , जब्बार, साबिर एवं इकबाल के विरूद्ध पंजीकृत करायी गई है। अपराध संख्या 81 सन 2021 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण की घटना भी दिनांक 05. 03.2021, समय 6:00 बजे की प्रदर्शित की गई है, जो कि वादी मुकदमा तौफीक अहमद द्वारा अभियुक्तगण कादिर, बन्टी, निजाम, गुलबहार एवं अफसर के विरूद्ध पंजीकृत की गई है। अतः दोनों मामलों की घटना एक ही है। अतः

दोनों वाद एक दूसरे के क्रास केस हैं। यह सुस्थापित विधि है कि क्रॉस केस होने की स्थिति में दोनों वादों का निस्तारण एक ही न्यायालय द्वारा तथा निर्णय एक ही पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है। ''

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मु0 अ0 सं0 81 सन 2021 अन्तर्गत धारा 147, 148, 324,325 भा0 द0 सं0, थाना नरौरा के अभियोग में घ टना दिनांक, घटनास्थल व मुकदमा अपराध संया 50 सन 2021 अन्तर्गत धारा 324, 325, 452, 307, 504 भा0 द0 सं0, थाना नरौरा के अभियोग में दर्शायी गयी घटना का दिनांक व घटनास्थल एक ही है। मुकदमा अपराध संख्या 81 सन 2021 का वादी मुकदमा तौफीक अहमद , मु0 अ0 सं0 50 सन 2021 में अभियुक्त है तथा मुकदमा सख्ख्या 50 सन 2021 का वादी मुकदमा निजाम मुकदमा अपराध संख्या 81 सन 2021 में अभियुक्त हैं। आवेदक के प्रार्थना पत्र के अनुसार मुकदमा अपराध संख्या 50 सन 2021 वर्तमान में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपशहर, बुलन्दशहर के समक्ष विचाराधीन है। चूँकि प्रस्तुत प्रकरण व मुकदमा अपराध संख्या 50 सन 2021 दोनों एक ही दिनांक व स्थान पर घटित हुआ है। दोनों पत्रावली एक दूसरे के क्रास केस विदित होते हैं। दोनों पत्रावलियों का विचारण एक साथ होना न्यायसंगत होगा।

अतः समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपशहर, बुलन्दशहर के आदेश दिनांकित 27.02.2026 के आलोक में मुकदमा अपराध संख्या 81 सन 2021 अन्तर्गत धारा 147, 148, 323, 504, 324, 506, 325 भा0 द0 सं0 थाना नरौरा जिला बुलन्दशहर वास्ते माननीय सत्र न्यायालय, बुलन्दशहर विचाराणार्थ सुपुर्द किया जाता है। लोक अभियोजन को सूचित किया जाये। कलैण्डर तैयार किया जाये,तथा माननीय सत्र न्यायालय बुलन्दशहर को पत्रावली समय से सुपुर्द की जाये। अभियुक्तगण कादिर उर्फ कालू शाह, बन्टी, निजाम, गुलवहार एवं अफसर दिनांक 17.03.2026 को माननीय सत्र न्यायालय, बुलन्दशहर के समक्ष अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।''

9. इस प्रकार विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दोनों पत्रावलियों को एक साथ विचारण किये जाने के आधार पर सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद से सम्बन्धित सत्रवाद सं0 8 सन 2026 राज्य बनाम निजाम उर्फ निजामुददीन आदि इस न्यायालय में लम्बित है, जिसमें घटना दिनांक 05.03.2021 समय करीब 6:00 बजे की होना दर्शित की गयी है और सत्र वद संख्या 24 सन 2021 राज्य बनाम साबिर आदि में भी घटना दिनांक 05.03.2021 की समय 6:00 बजे की दर्शित की गयी है। दोनों के पक्षकार एक ही है। चूँकि राज्य बनाम निजाम उर्फ निजामुददीन के वाद में मुकदमा प्रार्थना पत्र 156(3) द0 प्र0 सं0 के आधार पर पंजीकृत किया गया है, इसलिए इस वाद का

क्राइम नम्बर पृथक है। दोनों पक्षकारों के मध्य घटना एक ही समय व तिथि को घटित हुयी है तथा पक्षकार भी एक ही हैं। अतः दोनों वादों का विचारण एक साथ किया जाना न्यायोचित है। इस सम्बन्ध में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनूपशहर, बुलन्दशहर द्वारा किया गया आलोच्य आदेश दिनांकित 07.03.2026 विधिसम्मत व न्यायोचित है। आलोच्य आदेश में किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों में कोई बल प्रतीत नहीं होता है। तदानुसार प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त होनें योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या 8 सन 2026 निजाम उर्फ निजामुददीन बनाम उ0 प्र0 सरकार निरस्त की जाती है तथा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनूपशहर, बुलन्दशहर द्वारा किया गया आलोच्य आदेश पुष्ट किया जाता है। पत्रावली वास्ते विरचन आरोप दिनांक 31.08.2026 को पेश हो।

(राजेश कुमार–तृतीय)
अपर सत्र न्यायाधीश,
अनूपशहर, बुलन्दशहर।
यू.पी.आई.डी. 5962

दिनांक–18.08.2026

10. आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार–III)
अपर सत्र न्यायाधीश,
अनूपशहर, बुलन्दशहर।
यू.पी.आई.डी. 5962

दिनांक–18.08.2026